नारी धर्म

डॉ. आशा पाराशर
प्राध्यापक - समाजशास्त्र
शासकीय स्वशासी कन्या स्नातकोत्तर उत्कृष्टता महाविद्यालय, सागर (म.प्र.)

सभी धर्मशास्त्रों में नारी को नर की सहयोगिनी माना है। माता, पत्नी भगिनी, पुत्री आदि रूपों में पूज्यनीय होने से वह महिला कहलाती है। याज्ञवल्क्य ने मां कन्या सवर्णा, साध्वी पतिव्रता एवं विधवा स्त्री की प्रशंसा की तथा उसे समाज में उच्च स्थान देने का प्रयास किया है। उनका वास्तविक जीवन क्षेत्र परिवार है। आर्थिक क्षेत्र और राजनैतिक क्षेत्र में स्त्रियां अछूती रहीं। संयुक्त परिवार व्यवस्था के अन्तर्गत कन्या और कन्या के सम्मान का उल्लेख किया गया है। जिससे पारिवारिक क्षेत्र में उनकी पूजा की जाती रही है। इसका संकेत याज्ञवल्क्य ने अपनी स्मृति में दिया है। स्त्रियाँ सास-ससुर की सेवा करती है, जो उनके जीवन को सुखमय बनाता था परिवार में पतिव्रता नारी का स्थान श्रेष्ठ रहा। स्त्रियां परिवार के सभी सदस्यों का जीवन सुखमय बनाती थी, और समाज में यश को प्राप्त करती थी।

स्त्री के आचार पर विशेष जोर देते हुये स्त्री को शुभ लक्षणों से विभूषित होना श्रेयस्कर बताया है। माता पिता का कर्तव्य है कि जन्म के बाद ही कन्याओं में शुभ लक्षणों के संस्कार डालें। घर की शिक्षा दीक्षा संस्कार तथा वातावरण को महत्व देते हये जिस कुल में दस पीढ़ियों से प्रख्यात वेद पाठी से उस कुल की कन्या ग्रहण करना बताया। कन्याओं के लालन पालन में माता पिता को विशेष सावधानी बरतनी पड़ती थी और कन्या को शरीर से स्वस्थ, सुन्दर और निरोग रखा जाता था। याज्ञवल्क्य ने महान कुल की, संसर्ग रोग से ग्रसित कन्या को विवाह के अयोग्य माना है। पिता, पितामह, भाई कुल का कोई पुरूष और माता को कन्या दान का अधिकारी माना है। इनके अभाव में उन्होने कन्या को योग्य वर के स्वयं वरण का अधिकार दिया है।

याज्ञवल्क्य ने जहां कन्या को एक ही वार विवाह में दिये जाने का उल्लेख किया है, वहीं उन्होने यह भी लिखा है कि यदि पहले वर से अच्छा दूसरा वर मिल जाये तो दी हुई कन्या का भी हरण करे। कन्या के दोषों को विना वताए दान करने का निषेध लिखा है। ऐसा करने वाला उत्तम साहस के दण्ड का भागी होता है। इसी प्रकार निर्दोष कन्या को ग्रहण कर त्याग करने वाला भी दण्ड का भागी होता है। इस व्यवस्था के माध्यम से कन्या की स्थिति को श्रेष्ठ रूप से सुरक्षित रखने की व्यवस्था दी गई थी। स्त्री का कर्तव्य है कि पति की आज्ञा का पालन करें। वह स्त्रियों का परम धर्म है। नारव स्मृति में भी याज्ञवल्क्य स्मृति का अनुसरण किया है। भिन्न-भिन्न स्मृतिकारों ने काल प्रभाव तथा सामाजिक मान्यताओं के अनुसार भिन्न-भिन्न व्यवस्थाओं का उल्लेख किया है।

नारी का कर्तव्य है कि किशोरावस्था, व्यस्कावस्था तथा वृद्धावस्था में परिवार के रहते हुये स्वेच्छा से कोई कार्य उस समय तक नहीं करें जव तक कि पिता, पति या पुत्र आदि की सहमति न मिल जाये। स्त्री की प्रशंसा में यह भी लिखाा है कि पति के अनुकूल एवं श्रेयस्कर कार्य में तत्पर, सुन्दर आचरण करने वाली स्त्री इस

संसार में कीर्ति पाती है। और परलोक में उत्तम गति प्राप्त करती है। सभी स्मृतिकारों ने उसे सर्वतः पवित्र कहा है। और उसके सम्मान को चरम सीमा पर पहुँचा दिया है।

सन्दर्भ

1. मनुस्मृति :- याज्ञवल्क्य स्मृति - डॉ. उमेश चंद पाण्डे (1967) चौखम्भा प्रकाशन वाराणसी।
2. मनुस्मृति :- कुलूक भट्ट भास्य सहित विठ्ठल शर्मा (1997) बम्बई, कुल्लुक भट्ट भास्य सह संपादक हरगोविंद शास्त्री चौखम्भा प्रकाशन, वाराणसी (1965)
3. भास्य स्मृति :- सम्पादित जे. बाली कलकता 1885